कब्जू बनाम ग्राम पंचायत समिति सरपंच ग्राम पंचायत

केस नं. - 75 21.03/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/12/20	पत्रावली पेश हुई। आज P.O. साहब अन्य राजस्व कार्य में व्यस्त होने से मिसल दिनांक 27/1/21 को पेश हो। आज्ञा से रीडर सहायक कलक्टर (S.D.O. बदनोर)	
27/1/21	पत्रावली पेश हुई। P.O. साहब के पद रिक्त होने से मिसल दिनांक 17/2/21 को पेश हो। आज्ञा से रीडर सहायक कलक्टर (S.D.O. बदनोर)	
17/2/21	वकील अपीलार्थी उपस्थित बहस का अवसर चाहा दिया गया। मिसल वास्ते बहस दिनांक 5/3/21 को पेश करें। सहायक कलक्टर ... बदनोर	
5/3/21	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी उपस्थित है। वकील अपीलार्थी की ओर से बहस सुनी गई। मैंने बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। तदनुसार अपील अपीलार्थी स्वीकार	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	की जाती है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया गया, जो शामिल पत्रावली रहे। पत्रावली धुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर होवे। आदेश आज दिनांक 5/3/2021 को खुली अदालत में सुनाया गया। Sd/- उपखण्ड अधिकारी बदनोर (जिला-भीलवाड़ा)	कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बदनोर (भीलवाड़ा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बदनोर

बईजलास श्री घनश्याम शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.–03/2019

उनवान

1– श्रीमति कंकू देवी पत्नि भैरू सिंह रावत निवासी सोहनपुरा हाल कुण्डेली तहसील देवगढ।
2– किरण सिंह पिता भैरू सिंह रावत निवासी सोहनपुरा हाल कुण्डेली तहसील देवगढ।
3– जसवंत सिंह पिता भैरू सिंह रावत निवासी सोहनपुरा हाल कुण्डेली तहसील देवगढ।
4– श्रीमति धन्नी देवी पुत्री भैरू सिंह रावत पत्नि कानसिंह रावत निवासी बांगड़ तहसील भीम ।
5– श्रीमति मीना पुत्री भैरू सिंह रावत निवासी गुडा भोपत तहसील मारवाड़ जंक्शन ।

–अपीलार्थीगण

बनाम

1– ग्राम पंचायत भादसी, पंचायत समिति आसीन्द जरिया सरपंच ग्राम पंचायत भादसी।
2– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बदनोर

– रेस्पोडेण्ट

उपस्थित :– श्री राधेश्याम पारीक वकील अपीलार्थी ।

<u>अपील अन्तर्गतध धारा– 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एकट</u>

–:आदेश:–

दिनांक– 05.03.2021

1– अपीलार्थीगण के द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थीया संख्या 1 जो की भैरूसिंह पिता खेमसिंह रावत की पत्नि व अपीलार्थी संख्या 2 से 5 जो की भैरूसिंह खेमसिंह सिंह रावत के पुत्र, पुत्री होकर अपीलार्थीगण भैरूसिंह के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिस व उत्तराधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
बदनोर (जिला-भीलवाड़ा)

2– मौजा सोहनपुरा पटवार हल्का भादसी तहसील बदनोर की आराजी नम्बर 414 रकबा 0.19 हैक्टयर, आराजी नम्बर 734 रकबा 0.06 हैक्टयर, आराजी नम्बर 766 रकबा 0.08 हैक्टयर, आराजी नम्बर 769 रकबा 0.12 हैक्टयर, आराजी नम्बर 801 रकबा 0.12 हैक्टयर भूमि जिसमे भैरूसिंह का 1/2 हक हिस्सा है। आराजी नम्बर 804 रकबा 0.06 हैक्टयर, आराजी नम्बर 805 रकबा 0.06 हैक्टयर जिसमे भैरूसिंह का 1/2 हक हिस्सा है, आराजी नम्बर 773

रकबा 0.02 हैक्टयर जिसमें भैरूसिंह का 1/16 हक हिस्सा है, आराजी नम्बर 1187 रकबा 0.24 हैक्टयर, आराजी नम्बर 130 रकबा 0.03 हैक्टयर, आराजी नम्बर 131 रकबा 0.03 हैक्टयर, आराजी नम्बर 132 रकबा 0.03 हैक्टयर जिसमें भैरूसिंह का 1/2 हक हिस्सा है।

3— उक्त आराजीयात भैरूसिंह की कृषि आराजियात है। भैरूसिंह का देहान्त हो चुका है।

4— अपीलार्थीगण जो कि भैरूसिंह की पत्नि व पुत्र, पुत्री होकर विधिक वारीस उत्तराधिकारी है अपीलार्थीगण ने पटवार हल्का को भैरू सिंह की मृत्यु उपरान्त मृत्यु प्रमाण पत्र पेश कर नामान्तकरण खोलने हेतु निवेदन किया जिस पर पटवार हल्का द्वारा नामान्तकरण खोलने का आश्वासन दिया गया। दिनांक 12.02.2019 को पटवार हल्का के पास जमाबंदी की नकल लेने हेतु जाने पर पटवार हल्का द्वारा नामान्तकरण नही खुलने व ग्राम पंचायत द्वारा खारिज कर देने की बात कही व नामान्तकरण की नकल की प्रमाणित प्रति दी तब अपीलार्थीगण को प्रथम बार जानकारी में आया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पंचायत के सरपंच द्वारा विधि विरूद्ध तरिके से नामान्तकरण को खारिज किया है जो अपास्त होने योग्य है।

5— पटवार हल्का द्वारा वारिसान की जांच पडताल कर नामान्तकरण भरकर पेश किया गया जिसपर भू अभिलेख निरिक्षक द्वारा भी जांच रिपोर्ट सही होना बताया गया लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत भादसी के सरपंच द्वारा बिना कोई कारण बताये नामान्तकरण खारिज किया है जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है।

6— अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो से परे जाकर मनमकसूद तरीके से खारिज किया है जो अपास्त होने योग्य है।

7— अपीलार्थीगण द्वारा पटवार हल्का के समक्ष भैरूसिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि पेष किया व पटवार हल्का द्वारा विश्वास दिलाया की नामान्तकरण खुल जायेगा जिससे अपीलार्थीगण द्वारा सोचा की नामान्तकरण खुल गया होगा व हाल ही में दिनांक 12.02.2019 पटवार हल्का के पास जाने पर उक्त भूमि अपीलार्थीगण के नाम पर दर्ज नही होने व नामान्तकरण खारिज कर देने व नामान्तकरण की नकल देने पर हुई जिससे यह अपील मिलने जानकारी एवं मिलने नामान्तकरण की नकल के यह अपील अन्दर अवधि पेश है। आदेश की दिनांक से अपील पेश करने में हुई देरी के समय को कण्डौन फरमाया जाने हेतु धारा 5 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
बदनोर (जिला-भीलवाड़ा)

8– अन्त में अंकित किया कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाये जाकर ग्राम पंचायत भादसी पंचायत समिति आसीन्द द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 266 दिनांक 20.01.2018 में पारित आदेश को अपास्त फरमाया जाकर खातेदार भैरूसिंह पिता खेमसिंह रावत की विरासत का नामान्तकरण अपीलार्थीगण के नाम पर खोला जाने का आदेश प्रदान करावे।

9– प्रस्तुत अपील बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेण्टगण को जरिये नोटिस तलब किये जाने पर रेस्पोडेण्ड आवजुद सूचना के अनुपस्थित रहे है।

10– तत्प्रश्चात वकील अपीलार्थी की इस्तदुआ पर उनकी एक तरफा बहस सूनी गयी। वक्त बहस वकील अप्रार्थी का कथन था कि वादग्रस्त आराजीयात अपीलार्थी सं. 1 कंकू देवी के पति एवं अपीलार्थी सं. 2 से 5 के पिता भैरूसिंह पुत्र खेमसिंह रावत के खातेदारी की भूमि है। खातेदार भैरूसिंह की मृत्यु हो जाने पर उनके विधिक वारिसान के द्वारा विरासत का नामांतकरण खोलने हेतु पटवारी हल्का को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसपर पटवारी हल्का के द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में विरासत का नामांतकरण भरकर अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत भादसी के समक्ष प्रस्तुत करने पर न्यायालय द्वारा बिना किसी कारण बताये उक्त नामांतकरण को खारिज कर दिया गया। वकील अपीलार्थी का यह भी कथन था की अधिनस्त न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के परे जाकर अपनी मन मर्जी से नामांतकरण खारिज किया है जो अपास्त योग्य है। अन्त में कथन किया कि अपील पेश करने में हुई देरी के समय को कण्डोन फरमाया जाकर वादग्रस्त नामांतकरण संख्या 266 दिनांक 20.01.2018 को अपास्त फरमाया जावे तथा मृतक खातेदार भैरूसिंह पुत्र खेमसिंह रावत की विरासत का नामांतकरण अपिलार्थीगण के नाम पर खोले जाने का आदेश प्रदान करावे।

11 मैनें वकील अपीलार्थी की बहस को सूना। बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। विवेचन निम्न प्रकार से रहा है।

12 पत्रावली में उपलब्ध ग्राम सोहनपुरा पटवार हल्का भादसी तहसील बदनोर के वादग्रस्त नामांतकरण संख्या 266 दिनांक 11.01.2018 का अवलोकन किया। उक्त नामांतकरण पटवारी हल्का के द्वारा मृतक खातेदार भैरूसिंह पुत्र खेमसिंह की विरासत का कंकूदेवी पत्नि भैरूसिंह, किरणसिंह पुत्र भैरूसिंह, जसवंत सिंह पुत्र भैरूसिंह, धन्नीदेवी पुत्री भैरूसिंह, मीनादेवी पुत्री भैरूसिंह रावत के पक्ष में दिनांक 11.01.2018 को भरा जाकर बाद जॉच भू अभिलेख निरिक्षक के अधिनस्त न्यायालय ग्राम पंचायत भादसी के समक्ष प्रस्तुत करने से अधिस्त न्यायालय के द्वारा उक्त विवादित नामांतकरण पर –" नोट– यह नामांतकरण खारिज किया जाता है। –" का अंकन किया जाकर नामांतकरण खारिज किया जाना प्रकट आया है जो

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बदनोर (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
बदनोर (जिला-भीलवाड़ा)

प्रथत दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है। क्योकि अधिनस्त न्यायालय के द्वारा अपीलार्थीगण को न तो कोई जानकारी दी गयी और न ही उन्हे कोई सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो के विपरित जाकर निर्णय पारीत किया जाना प्रथम दृष्टया प्रतित हुआ है। अधिनस्त न्यायालय को चाहिए था की वह अपीलार्थीगण को तलब करते, उन्हे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते आवश्यक साक्ष्य सबुत प्राप्त कर ही उक्त नामांतकरण का निस्तारण करना चाहिये था या विवाद की स्थिति में उक्त नामांतकरण को राजस्व अधिकारी को प्रति प्रेषित किया जाना चाहिये था किन्तु अधिनस्त न्यायालय द्वारा ऐसा नही कर नामांतकरण खारिज कर घौर अवैधानिक कृत्य किया है जो काबिले खारिज योग्य है। साथ ही अपीलार्थी ने धारा– 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया गया है वह सदभाविक एवं संतोष प्रद होने से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम सविकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है तथा उपरोक्त विवेचना अनुसार अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाने योग्य होने से न्यायालय हय आदेश सुनाया जाना मुनासिब समझता है की :–

–:: आदेश ::–

अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधिनस्त न्यायालय ग्राम पंचायत भादसी के नामांतकरण संख्या 266 निर्णय दिनांक 20.01.2018 को अपास्त किया जाकर तहसीलदार बदनोर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वह अपीलार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए साक्ष्य सबुतो के आधार पर नव निर्णय पारित करे। आदेश की प्रति अग्रीम कार्यवाही हेतु तहसीलदार बदनोर को दी जावे। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखित दफ्तर करे। आदेश आज दिनांक 05.03.2021 को खुली अदालत में सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बदनोर (भीलवाड़ा)

(घनश्याम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
बदनोर (जिला-भीलवाड़ा)